

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर  
164/2020

तारीख दायर  
11-09-2020

तारीख फैसला  
06/05/2022

उनवान

01. शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, 144/2 गथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
योगेश शर्मा पुत्र श्री हरिशंकर शर्मा

-----:: वादी

बनाम

01. जमील
02. हारून
03. शेरू
04. कल्लु
05. गफूर
06. सकूर पुत्रान श्री चाहत जाति मेव निवासीगण ग्राम बूबकाहेडा तहसील तिजारा जिला अलवर
07. श्रीमान् तहसीलदार साहब, बहैसियत लैण्ड होल्डर, तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
08. शाखा प्रबन्धक पी.एन.बी. शाखा टपूकडा जिला अलवर
09. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. शाखा टपूकडा जिला अलवर
10. शाखा प्रबन्धक ओ.बी.सी. शाखा टपूकडा जिला अलवर

-----:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा वो हुक्मइम्तनाई दवामी

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-:: निर्णय ::-

प्रकरण के सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार है कि वादी ने यह दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध दावा प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 478 रकबा 0.61 है0 वाके ग्राम बूबकाहेडा तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। योगेश शर्मा को विवादित आराजी के संबंध में पूर्ण जानकारी है व वादी कम्पनी की ओर से समस्त विधिक कार्यवाही करने के लिए अधिकृत है। विवादित आराजी वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की संयुक्त कब्जे काश्त शामिलता खातेदारी की आराजी है। उक्त विवादित आराजी में वादी कम्पनी का 34/48 भाग व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा है, जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हो रहा है। जिस पर वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 मुताबिक अपने अपने भाग पर काबिज व दाखिल चले आ रहे हैं। रिकार्ड में शामिलता राजस्व रिकार्ड दर्ज है। वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 अपने अपने हिस्से के अनुरूप मौके पर उक्त आराजी पर काबिज एवं दाखिल है। किन्तु आज तक लिखित रूप में पक्षकारान



के मध्य कोई बंटवारा नहीं हुआ है और राजस्व रिकार्ड में शामिल व दाखिल चले आ रहे हैं। हर इंच पर हर हिस्सेदार का हिस्सा है। वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस आज तक कोई तकासमा नहीं हुआ है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 अनुपस्थित इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 फोरमल पक्षकार है कोई राजहित निहित नहीं है। अतः जवाब सरकार बन्द किया गया। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील ने वाद को प्रारम्भिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण में दिनांक 04-01-2021 को प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार टपूकडा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा स्कीम तैयार कर रिपोर्ट कुरे तलब की गई।


चूंकि तहसीलदार टपूकडा ने अपने पत्र क्रमांक: भूअ./2022/5034 दिनांक 04-04-2022 के द्वारा प्रकरण में कुरे रिपोर्ट प्रेषित कर दी थी। प्रार्थी अधिवक्ता ने मुताबिक कुरे रिपोर्ट फाईनल डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। कुरे रिपोर्ट का अवलोकन किया। दावा फाईनल डिक्री किया जाना उचित है।

अतः दावा वादीगण फाईनल डिक्री किया जाता है निम्नानुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 478 रकबा 0.61 है 0 वाके ग्राम बूबकाहेडा तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं।

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
01.	शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, चांदवीर सिंह पुत्र मदनसिंह जाति जाट सा. 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली खातेदार अ.वि.व. 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली खातेदार जयें चांदवीर सिंह पुत्र मदनसिंह जाट सा. 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली	478	0.43208	चाही सोयम	5.1425
02.	कल्लू गफूर जीमल शकूर शेरु हारून पि0 चाहत हि0 पूर्ण मेव सा. देह खातेदार	478/1	0.17792	चाही सोयम	2.1175

तकसीम शुद्धा नक्शा फाईनल डिक्री का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

  
 (महेन्द्र सिंह)  
 उपखण्ड अधिकारी,  
 तिजारा (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0  
पीठारीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर  
164/2020

तारीख दायर  
11-09-2020

तारीख फैसला

06/05/2022

01. शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
योगेश शर्मा पुत्र श्री हरिशंकर शर्मा

उनवान

--- :: वादी

01. जमील
02. हारून
03. शेरू
04. कल्लू
05. गफूर

06. सकूर पुत्रान श्री चाहत जाति मेव निवासीगण ग्राम बूबकाहेडा तहसील तिजारा जिला अलवर
07. श्रीमान् तहसीलदार साहब, बहैसियत लैण्ड होल्डर, तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
08. शाखा प्रबन्धक पी.एन.बी. शाखा टपूकडा जिला अलवर
09. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. शाखा टपूकडा जिला अलवर
10. शाखा प्रबन्धक ओ.बी.सी. शाखा टपूकडा जिला अलवर

----- :: प्रतिवादीगण


दावा तकासमा वो हुकमइम्तनाई दवामी  
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

--: पर्चा डिकी :-

हाल आराजी खसरा नम्बर 478 रकबा 0.61 है0 वाके ग्राम बूबकाहेडा तहसील तिजारा जिला अलवर  
(राजस्थान) को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
01.	शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, चांदवीर सिंह पुत्र मदनसिंह जाति जाट सा. 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली खातेदार अ.वि.व. 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली खातेदार जर्ये चांदवीर सिंह पुत्र मदनसिंह जाट सा. 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली	478	0.43208	चाही सोयम	5.1425
02.	कल्लू गफूर जमील शकूर शेरू हारून पि0 चाहत हि0 पूर्ण मेव सा. देह खातेदार	478/1	0.17792	चाही सोयम	2.1175

तकसीम शुद्धा नक्शा फाईनल डिकी का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावें।

  
(महेन्द्र सिंह)

उपखण्ड अधिकारी,  
तिजारा (अलवर)